संख्या-17/2017/590/55-पर्या-2-2017-100 (पर्या)/2017

प्रेषक,

निहालुद्दीन खाँ
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत निम्नांकित मदों में प्राविधानित बजट में से अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-425/पर्या/प्लान/रा0से0यो0/जा0का0/2017-18 दिनांक 17.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1990/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चलाये जाने जैसे पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दिवसों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन छात्र/छात्राओं में पर्यावरणीय जागरूकता के प्रसार हेतु जन जागरूकता कार्यक्रमों यथा संगोष्ठी, रैली, कार्यशाला, प्रतियोगिता एवं शिविरों इत्यादि का आयोजन, विभिन्न लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण बहुविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, स्थानीय मेलों एवं महोत्सवों इत्यादि पर पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन तथा सचल पर्यावरण प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता का प्रचार, पर्यावरण बहुविषयक प्रचार एवं प्रसार सामग्री जैसे बुकलेट, पैम्फलेट, पोस्टर और स्टीकर इत्यादि का प्रकाशन एवं वितरण, आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो एफ0एम0, होर्डिंग्स एवं मीडिया के अन्य साधनों के माध्यम से पर्यावरणीय संदेशों का प्रसारण, शैक्षिक और शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समर्थित संस्थाओं/उपक्रमों/पंजीकृत उद्योग संघों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम/सहयोग से पर्यावरण बहुविषयक सेमिनार, कान्फ्रेंस और वर्कशाप इत्यादि का आयोजन, ओजोन परत के क्षरण होने से पृथ्वी तक पंहुचने वाले पराबैगनी-बी विकिरण की मात्रा में बढोत्तरी से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्यायों एवं ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिये ''संयुक्त राष्ट्र महासभा'' द्वारा 16 सितम्बर का दिन अर्न्तराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाये जाने इत्यादि के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत मद में रू0 15,000,00-00 (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 05 माह के लेखानुदान की धनराशि रू0 4,17,000-00 (रू0 चार लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रू0 10,83,000-00 (रू0 दस लाख तिरासी हजार मात्र) वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1990 /दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-45 के लेखाशीर्षक ''3435 परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनुरूद्धभवन-003- पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार-03-पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन -42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(निहालुद्दीन खाँ)
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2017/590/55-पर्या-2-2017-100 (पर्या)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(निहालुद्दीन खाँ)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in